सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **165/2017** दायर दिनाँक **10.09.2015**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. केसरदेवी पुत्री स्वर्गीय रामनाथ, जाति—जाट, उम्र—55साल, निवासी—पीपलाँ का बास (बाँसा), तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | **बनाम** | 1. उमाराम पुत्र गोमाराम,<br>2. पन्नाराम पुत्र बगसाराम,<br>3. खींवाराम पुत्र बगसाराम,<br>4. नारायणराम पुत्र बगसाराम,<br>5. रामेश्वरलाल पुत्र धनाराम,<br>6. अर्जुनराम पुत्र धनाराम,<br>7. पतासी पत्नी भागुराम,<br>8. राजुराम पुत्र भागुराम,<br>9. सुल्तानराम पुत्र भागुराम,<br>समस्त,जाति—जाट, निवासी—निम्बा का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>10. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,**
**अन्तर्गत धारा— 88, R.T. Act.**

**उपस्थितः—**

1. वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित।

## —:: निर्णय ::—

दिनाँक **04.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी केसरदेवी, स्वर्गीय रामनाथ पुत्र लादुराम निवासी निम्बा का बास, की एकमात्र पुत्री है।

शरहद बाँसा में पुराना खसरा नम्बर 357 रकबा 30.10 बीघा था जिसके नये खसरा नम्बर 480 बने। यह खसरा अकेले स्वर्गीय रामनाथ का था जिस सम्बन्ध में भाईयों के मध्य कोई विवाद नहीं है।

उक्त खसरा नम्बर 357 पहले 30.10 बीघा का था और मौके पर आज भी 30.10 बीघा ही है जिसके नये खसरा नम्बर 480 बने किन्तु रकबा रिकॉर्ड में 25.16 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

प्रार्थना वादी है कि,

**सहायक कलक्टर**
**डीडवाना**

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 165/2017
दायर दिनाँक 10.09.2015, निर्णय दिनाँक 04.06.2018
केसरदेवी बनाम् उमाराम, वगैरा।

खसरा नम्बर 480 रकबा 30.10 बीघा शरहद मौजा पीपलाँ का बास वादी की खातेदारी का होना घोषित किया जावे एवं वाद में वर्णितानुसार खसरा नम्बर 479 में से 14 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 481 में से रकबा 01.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 483 में से 03.00 बीघा भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में से कम करके उक्त रकबा वादी के खाते में बढाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 10 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, खतौनी सम्वत् 2006 ग्राम बाँसा खेवट संख्या 60 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फार्म नम्बर 19 जमाबन्दी ग्राम बाँसा सम्वत् 2010–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम बाँसा सम्वत् 2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल मौजा बाँसा की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल खतौनी ग्राम पीपलाँ का बास सम्वत् 2068 से 2071 तक खेवट संख्या 02/68, 53/68, 117/68, 52/68, 49/15, 20/15, 19/15, 56/15, 17/12 व 07/04–68 तथा आंशिक छायाप्रति हाल तरमीम सर्वेशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**डाकीपुरा** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 10 हाजिर नहीं। पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी व पत्रावली पर उपलबध रिकॉर्ड तथा हस्तगत वाद में उभयपक्षकारान् को सुन कर, शरहद पीपलाँ का बास के खसरा नम्बर 479 रकबा 13.00 बीघा में से रकबा 0.14 बीघा व खसरा नम्बर 481 रकबा 23.18 बीघा में से रकबा 01.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 483 रकबा 12.08 बीघा में से रकबा 03.00 बीघा भूमि लेकर, कम किये गये इस **कुल रकबा 04.14 बीघा** को, शरहद पीपलाँ का बास के खसरा नम्बर 480 रकबा 26.16 बीघा में रकबा 04.16 बीघा **(कम किये गये कुल रकबा 04.14 बीघा)** शामिल कर, इस रकबे को पुनः पूर्ववत् 30.10 बीघा दुरस्त किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

बाद विवेचन, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 165/2017
दायर दिनाँक 10.09.2015, निर्णय दिनाँक 04.06.2018
केसरदेवी बनाम् उमाराम, वगैरा।

## –:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद पीपलाँ का बास के खसरा नम्बर 480 रकबा 25.16 बीघा, में रकबा 04.14 बीघा शामिल करते हुए, निम्नक्रमांक 01 ता 03 मुताबिक, रकबा 30.10 बीघा भूमि पूर्ववत् दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्त शामिल की गयी भूमि रकबा 04.14 बीघा को शरहद पीपलाँ का बास की निम्नलिखित खसरान् की भूमियों में से कम किया जावे/घटाया जावेः–

1. खसरा नम्बर 479 रकबा 13.00 बीघा में से रकबा **0.14** बीघा भूमि कम की जाकर इस खसरे की भूमि के रकबा 13.00 को रकबा 12.06 बीघा दुरस्त किया जावे।
2. खसरा नम्बर 481 रकबा 23.18 बीघा में से रकबा **01.00** बीघा भूमि कम की जाकर इस खसरे की भूमि के रकबा 23.18 को रकबा 22.18 बीघा दुरस्त किया जावे।
3. खसरा नम्बर 483 रकबा 12.08 बीघा में से रकबा **03.00** बीघा भूमि कम की जाकर इस खसरे की भूमि के रकबा 12.08 को रकबा 09.08 बीघा दुरस्त किया जावे।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–डाकीपुरा

निर्णय, आज दिनाँक **04.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–डाकीपुरा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
**—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—**
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **165/2017**

दायर दिनाँक **10.09.2015**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. केसरदेवी पुत्री स्वर्गीय रामनाथ, जाति—जाट, उम्र—55साल, निवासी—पीपलाँ का वास (बाँसा), तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | बनाम | 1. उमाराम पुत्र गोमाराम,<br>2. पन्नाराम पुत्र बगसाराम,<br>3. खींवाराम पुत्र बगसाराम,<br>4. नारायणराम पुत्र बगसाराम,<br>5. रामेश्वरलाल पुत्र धनाराम,<br>6. अर्जुनराम पुत्र धनाराम,<br>7. पतासी पत्नी भागुराम,<br>8. राजुराम पुत्र भागुराम,<br>9. सुल्तानराम पुत्र भागुराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—निम्बा का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>10. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,**
**अन्तर्गत धारा— 88, R.T. Act.**

दिनाँक **04.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद पीपलाँ का बास के खसरा नम्बर 480 रकबा 25.16 बीघा में रकबा 04.14 बीघा शामिल करते हुए, निम्नक्रमांक 01 ता 03 मुताबिक, रकबा 30.10 बीघा भूमि पूर्ववत् दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्त शामिल की गयी भूमि रकबा 04.14 बीघा को शरहद पीपलाँ का बास की निम्नलिखत खसरान् की भूमियों में से कम किया जावे/घटाया जावेः—

1. खसरा नम्बर 479 रकबा 13.00 बीघा में से रकबा **0.14** बीघा भूमि कम की जाकर इस खसरे की भूमि के रकबा 13.00 को रकबा 12.06 बीघा दुरस्त किया जावे।
2. खसरा नम्बर 481 रकबा 23.18 बीघा में से रकबा **01.00** बीघा भूमि कम की जाकर इस खसरे की भूमि के रकबा 23.18 को रकबा 22.18 बीघा दुरस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

3. खसरा नम्बर 483 रकबा 12.08 बीघा में से रकबा **03.00** बीघा भूमि कम की जाकर इस खसरे की भूमि के रकबा 12.08 को रकबा 09.08 बीघा दुरस्त किया जावे।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ........–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **04.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
कोर्ट कैम्प–डाकीपुरा

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह<br>सबूत<br>महनताना<br>वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>– | | स्टाम्प<br>वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | . | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
कोर्ट कैम्प–डाकीपुरा

Scanned by CamScanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–165–2015/रीडर/2018/ 573 दिनाँक 04.06.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

**दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,**
**अन्तर्गत धारा– 88, R.T. Act.**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. केसरदेवी पुत्री स्वर्गीय रामनाथ, जाति–जाट, उम्र–55साल, निवासी–पीपलाँ का बास (बाँसा), तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | **बनाम** | 1. उमाराम पुत्र गोमाराम,<br>2. पन्नाराम पुत्र बगसाराम,<br>3. खींवाराम पुत्र बगसाराम,<br>4. नारायणराम पुत्र बगसाराम,<br>5. रामेश्वरलाल पुत्र धनाराम,<br>6. अर्जुनराम पुत्र धनाराम,<br>7. पतासी पत्नी भागुराम,<br>8. राजुराम पुत्र भागुराम,<br>9. सुल्तानराम पुत्र भागुराम,<br>समस्त,जाति–जाट,<br>निवासी–निम्बा का बास,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान,<br>10. तहसीलदार डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। |

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–डाकीपुरा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner